प्रेसनोट

पिथौरागढ़—08.10.13(सूवि),

राज्य के विभिन्न विभागों/कार्यालयों आदि में तैनात केन्द्र/राज्य सरकार के विभिन्न सेवा संवर्गो में कार्यरत कतिपय अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में या एक ही निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक बार पंजीकृत होने तथा स्थानान्तरण के फलस्वरूप कतिपय अधिकारियों/कर्मचारियों के द्वारा नव तैनाती क्षेत्र में अपना नाम उस क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत करा लिये जाने और पूर्व तैनाती क्षेत्र की निर्वाचन नामावली से अपना नाम हटवाने के लिए कोई कार्यवाही न किये जाने पर अपर जिलाधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी बीएल राणा ने गंभीरता से लिया है।

उक्त वर्णित परिस्थिति के संदर्भ में अपर जिलाधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम—1950 की धारा—17 में निहित प्राविधानों के अनुसार कोई भी व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में तथा उक्त अधिनियम की धारा—18 में निहित प्राविधानों के अनुसार कोई भी व्यक्ति एक ही निर्वाचन क्षेत्र में एक अधिक बार निर्वाचक नामावली में नाम रजिस्ट्रीकृत कराने का हकदार नहीं होगा।

उन्होंने जनपद के समस्त कार्यालयाध्यक्षों से कहा है कि अपने विभाग, कार्यालयों में कार्यरत समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित करें कि कोई भी अधिकारी/कर्मचारी स्थानान्तरण के फलस्वरूप नव तैनात क्षेत्र की विधानसभा निर्वाचक नामावली में अपना नाम सम्मिलित करवाने के साथ—साथ पूर्व तैनाती क्षेत्र की संबंधित निर्वाचक नामावली से अपना नाम हटवाए जाने के लिए भी युक्तियुक्त कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा है कि किसी भी अधिकारी/कर्मचारी का नाम निर्वाचक नामावली में दो—दो स्थानों पर पाया जाना संज्ञान में आने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

जिला सूचना अधिकारी
पिथौरागढ़।

प्रेसनोट

पिथौरागढ़–09.10.13(सूवि),

उप जिलाधिकारियों के हस्ताक्षरयुक्त प्रमाणित निर्वाचक नामावली की प्रति खण्ड विकास अधिकारियों को सप्ताहांत तक उपलब्ध करा दें जिससे मतदाता निर्वाचक नामावली में अपना नाम देख सके और नाम, पता गलत होने या अन्य त्रुटि होने पर समय से उसे ठीक करा सके। उक्त निर्देश आज विकास भवन सभागार में राज्य निर्वाचन आयुक्त सुबर्द्धन ने निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों को दिये।

उन्होंने कहा कि निर्वाचन नामावलियों का विस्तृत पुनरीक्षण करने के बाद मतदाता सूची शतप्रतिशत सही तैयार कर उसे उप जिलाधिकारियों से प्रमाणित कर विकासखंडों को उपलब्ध करायें जिससे मतदाता को अपने नाम की प्रविष्टि देखने, गलतियों को सुधारने, नाम हटाने और नाम जोड़ने का मौका दिया जा सके। उन्होंने सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिये कि प्रमाणिक मतदाता सूची सप्ताहांत तक निर्वाचन आयोग को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन की कार्यवाही मध्य नवम्बर से प्रारम्भ कर दी जायेगी इसलिए निर्वाचन सम्बन्धी सभी तैयारियां, पूर्व में की जाने वाली कार्यवाही अभी से प्रारम्भ करें। जनपद में तीन चरणों में प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के संबंध में निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि सभी व्यवस्थायें, पुलिस फोर्स, अन्य संसाधन पूर्ण रूप से उपलब्ध होने पर निर्वाचन एक ही चरण में प्रस्तावित कर आयोग को उपलब्ध करायें। उन्होंने उप जिला निर्वाचन अधिकारी बीएल राणा को निर्देश दिये कि संवेदनशीन व अतिसंवेदनशील मतदेय स्थलों का निर्धारण पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्धारित करें। उन्होंने सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रपत्र की छपाई हेतु समय से निविदायें आमंत्रित करने, समय से अधिकारियों/कार्मिकों की सूची मांगने के निर्देश दिये।

राज्य निर्वाचन आयुक्त को सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन हेतु लगभग 300 वाहनों की आवश्यकता होती है और जनपद में पर्याप्त मात्रा में छोटे–बड़े वाहन उपलब्ध हैं। उन्होंने खराब पड़े, आपदा से क्षतिग्रस्त मतदेय स्थलों को समय रहने ठीक करने, सभी विकासखंडों को इंटरनेट से जोड़ने, आवश्यकता के अनुसार कार्मिकों की मांग करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि निर्वाचन में पोलिंग पार्टियों के भोजन की व्यवस्था भोजनमाता, ग्राम प्रहरी द्वारा की जायेगी जिस हेतु अभी से तैयारी कर लें। उन्होंने कार्मिकों के अवशेष यात्राभत्ता का उपलब्ध धनराशि से तत्काल भुगतान करने और जरूरत होने पर आयोग को मांगपत्र प्रेषित करने के निर्देश दिये। उन्होंने जनसंख्या वृद्धि पर मतदान केंद्रों की फिर से जांच कर बढ़ाने के प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश भी बैठक में दिये। जिला पंचायतराज अधिकारी ने बताया कि जनपद में मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के समय 158735 स्त्री, 150460 पुरूष मतदाता, कुल 309195 मतदाता तथा 689 मतदान केन्द्र तथा 747 मतदान स्थल थे। उन्होंने बताया कि जनपद में 5 मतदान स्थल व 7 मतदान केन्द्र बढ़े।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डा.आनन्द श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी बीएल राणा, उप जिलाधिकारी अनुराग आर्य, महाप्रबन्धक जल संस्थान उत्तम कुमार, परियोजना निदेशक नरेश कुमार, जिला विकास अधिकारी एसएम डोभाल, डिप्टी एसपी राजीव मोहन, सभी खंड विकास अधिकारी आदि उपस्थित थे।

जिला सूचना अधिकारी
पिथौरागढ़।